न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 76/2022

GCMS NO. : 2022/121

--:: वादी ::--	बनाम	--:: प्रतिवादीगण ::--
1. अनिल कुमार पुत्र जेठाराम जाति मेघवाल, निवासी निमाज तहसील जैतारण जिला ब्यावर।		1. रामपाल पुत्र बक्साराम जाति मेघवाल, निवासी चौकडीकलां, तहसील पीपाड शहर, जिला जोधपुर। 2. रामदीन पुत्र रावतराम जाति रेगर, निवासी आगेवा, तहसील जैतारण जिला ब्यावर। 3. तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 07/11/2022

उपस्थितः-

1. श्री रामस्वरूप चौधरी, श्री समीर खांन, श्री सुरेश कुमावत, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 01

--:: निर्णय ::-- दिनाँकः- 21/01/2023

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा आगेवा, पटवार हल्का आगेवा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आगेवा, तहसील जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 433 रकबा 0.9389 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक-हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के पक्षकारान के मध्य कोई बंटवाडा नहीं हो रखा है। वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड मे संयुक्त शामलाती अविभाजित कृषि भूमि है। इस कारण वादी को अपने हक-हिस्से व बंट की भूमि का अपनी मनमर्जी अनुसार कृषि कार्य करने, बैंक से ऋण लेने, उन्नत तरीके से कृषि करने, खाद बीज डालकर उपजाऊ करने, सरकारी अर्द्धसरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में काफी दिक्कतों एवं समस्यों तथा कठिनाईयों का सामना करना पडता है तथा वादी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है इस कारण से वादी अपने हक-हिस्से व बंट की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाडा करवाने का

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

अधिकारी है। वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में शामलाती दर्ज होने से प्रतिवादीगण आये दिन वादी के खेत की मांठ पाल व खन्दक को लेकर तथा सीमा को लेकर हमेशा वाद विवाद करते रहते है। वादी की कृषि भूमि की मेडबन्दी व तारबन्दी को तोडफोड कर देते है तथा बिना बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाडा करवाये ही उक्त संयुक्त शामलाती खातेदारी की कृषि भूमि को किसी अन्य को बेचान, हस्तान्तरण आदि की धमकीयां देते रहते है एवं वादी को उसके कब्जे से बेदखल करने की ऐलानिया धमकीयां देते रहते है। जबकि वादी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है एंव राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम इन्द्राज है तथा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक-हिस्से अनुसार वादी मौके पर काबिज काश्त है। इसलिए वादी अपने हक-हिस्से व बंट की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाडा करवाने के अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत् बंटवाडा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के सादर पेश है। दिनांक 14/09/2022 को वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाडा करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट इन्कार करने एवं वादी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने एवं बिना बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, वसीयत आदि करने व मौके पर कच्चा-पक्का निर्माण करने व खुर्द-बुर्द करने तथा वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने की ऐलानिया धमकीया दी। यदि प्रतिवादीगण अपने इन नापाक इरादो में कामयाब हो जाते है तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी एवं वादी अपने खातेदारी काश्तकारी हक हकूको से वंचित हो जायेगा एवं वादी अपने साम्पैतिक अधिकारों से महरूम हो जायेगा। इसलिए वादी के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। बिनाय वाद दिनांक 14/09/2022 को वादी ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के कानूनी बंटवाडा करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट इन्कार होने से एवं बिना बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के कानूनी बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि को किसी अन्य को रहन, बेचान, अन्य हस्तान्तरण करने तथा वादी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने एवं मौके पर कच्चा-पक्का निर्माण कर वादग्रस्त आराजी को खुर्द-बुर्द करने की ऐलानिया धमकीया देने पर बमुकाम आगेवा, तहसील जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने से यह वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की तरफ से वकील श्री किशोर कुमावत ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, जो शा.मि. है। प्रतिवादी संख्या 02 बावजूद सम्मन सूचना के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील प्रतिवादी संख्या 01 ने इकबालिया जवाब दावा पेश किया, जो शा.मि. है। वादी ने साक्ष्य शपथ-पत्र (PW-1) प्रस्तुत किया, दस्तावेज प्रदर्श करवाए, जो शा.मि. है।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया। जमाबंदी सरहद मौजा- आगेवा, पटवार हल्का-आगेवा, भू अभिलेख निरीक्षक-आगेवा, तहसील- जैतारण, जिला-ब्यावर में खसरा नम्बर 433 रकबा 0.9389 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल सम्वत् 2077-2080 का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, जिसमें माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा- आगेवा, पटवार हल्का-आगेवा, भू अभिलेख निरीक्षक-आगेवा, तहसील- जैतारण, जिला-ब्यावर में खसरा नम्बर 433 रकबा 0.9389 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। जिसका उभयपक्ष के हक-हिस्सों का माफिक राजस्व रिकार्ड भूमि का बंटवाड़ा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2023/300 दिनांक 06.09.2023 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/23/6258 दिनांक 11.12.2023 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, शा0मि0 की गई।

अंतिम बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गई। बहस के दौरान वकील उभयपक्ष ने वादग्रस्त आराजी का माफिक प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा बंटवाड़ा करने हेतु सहमति जाहिर की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील उभयपक्ष एवं पालना रिपोर्ट पर गौर कर मनन किया गया। भू-अभिलेख के खसरा नम्बर 433 रकबा 0.9389 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल का माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा- आगेवा, पटवार हल्का-आगेवा, भू अभिलेख निरीक्षक-आगेवा, तहसील- जैतारण, जिला-ब्यावर में खसरा नम्बर 433 रकबा 0.9389 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	अनिल कुमार पुत्र जेठाराम कौम मेघवाल सा0 कुशालपुरा खातेदार	433	0.3130	बा.अ.	0.1933
2.	रामदीन पुत्र रावतराम कौम रेगर सा0 देह खातेदार	433/2	0.3129	बा.अ.	0.1933
3	रामपाल पुत्र बक्साराम कौम मेघवाल सा0 चौकड़ी कलां पीपाड़ खातेदार	433/3	0.3130	बा.अ.	0.1934

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी (कोर्ट केस)
जैतारण

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 21/12/2023 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः- जैतारण**
बईजलास :- **श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

-:: वादी ::- **बनाम** **-:: प्रतिवादीगण ::-**

1. अनिल कुमार पुत्र जेठाराम जाति मेघवाल, निवासी निमाज तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

1. रामपाल पुत्र बक्साराम जाति मेघवाल, निवासी चौकडीकलां, तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर।
2. रामदीन पुत्र रावतराम जाति रेगर, निवासी आगेवा, तहसील जैतारण जिला ब्यावर।
3. तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार।

मु0न0 :रा0बा0स0: 76/2022

<u>राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-.......व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, श्री समीर खांन, श्री सुरेश कुमावत, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि सरहद मौजा- आगेवा, पटवार हल्का-आगेवा, भू अभिलेख निरीक्षक-आगेवा, तहसील- जैतारण, जिला-ब्यावर में खसरा नम्बर 433 रकबा 0.9389 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	अनिल कुमार पुत्र जेठाराम कौम मेघवाल सा0 कुशालपुरा खातेदार	433	0.3130	बा.अ.	0.1933
2.	रामदीन पुत्र रावतराम कौम रेगर सा0 देह खातेदार	433/2	0.3129	बा.अ.	0.1933
3	रामपाल पुत्र बक्साराम कौम मेघवाल सा0 चौकड़ कलां पीपाड़ खातेदार	433/3	0.3130	बा.अ.	0.1934

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

नीज ......-.....मुबलिक.....-.....बाबत.......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक.....-......को अदा करें।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 21/12/2023 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक रजिस्ट्रार
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प वकालतनामा	3.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	6.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	11.00	मिजानः–	3.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।